केन्द्रीय सरकार के बाढ़ से प्रभावित कर्मचारियों को सहायता दिया जाना

862. **श्री सरत कार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को कुछ सहायता दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है ;

(ग) उन विभागों के नाम क्या हैं जिनको यह सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) बाढ़ पीड़ित लोगों को तत्काल सहायता देने के लिए सरकार की भावी योजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि ऐसी कोई योजना नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पिछले वर्ष, डाक व तार विभाग ने अपने अधीन शक्तियों के अन्तर्गत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार राज्यों तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में बाढ़ों द्वारा भावित डाक व तार विभाग के अराजपत्रित प्रकर्मचारियों को, अग्रिम के रूप में एक महीने के वेतन के बराबर राशि मंजूर की थी ।

(ख) और (ग). पिछले वर्ष, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम राज्यों तथा पांडिचेरी और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में बाढ़ों, वर्षा और चक्रवातों से प्रभावित सभी विभागों के अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में तीन महीने का वेतन अथवा 500/– रुपए की राशि, इनमें से जो भी कम हो, मंजूर की गई थी ।

(घ) नियमों में पहले ही, सभी अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी चल अथवा अचल संपत्ति, सरकार द्वारा प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित घोषित किए गए क्षेत्र में, अत्याधिक प्रभावित अथवा क्षतिग्रस्त हुई हो, अग्रिम के रूप में तीन महीने के वेतन के बराबर राशि अथवा 500/- रुपए, इनमें से जो भी कम है, मंजूरी देने की व्यवस्था है। कार्यालयों के अध्यक्षों को, अपने आप, वित्त मंत्रालय द्वारा की जाने वाली सामान्य घोषणा की प्रतीक्षा किए बिना, ऐसी अग्रिम मंजूर करने का अधिकार दिया गया है, जहां संबंधित राज्य सरकार ने प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को इसी प्रकार की रियायत मंजूर की हुई हो ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Loss suffered by Commercial Banks

863. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether commercial banks have suffered loss during the last one year;

(b) if so, how much of this loss occurred to (i) the nationalised banks; and (ii) the non-nationalised commercial banks; and

(c) the reasons therefor;

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The fourteen nationalised banks, the State Bank of India and its seven associate banks did not incur any loss during the year ended 31st December, 1977 However, 21 of the total of 48 Regional Rural Banks set up under the Regional Rural Banks Act, 1976 incurred losses totalling to Rs. 36.68 lakhs (approx.).

Of the Private Sector Commercial Banks only 3 incurred losses totalling to Rs. 34.25 lakhs during the year 1977.

(c) As regards losses incurred by Regional Rural Banks are concerned, most of these banks being newly established, have to incur higher organisational and establishment costs and also to incur expenditure in opening new branches. At the same time, the

increase in business is gradual and therefore, the return on their advances some times falls short of their operational cost.

As regards losses incurred by the three Private Sector Banks are concerned, these are due to write off of a large sum to cover the loss suffered on account of a fraud in one case and reduction in income and higher expenditure in the case of another. The loss incurred by the third bank is marginal.

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ग्रामीण बैंकों से ऋण

864. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को ग्रामीण बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने का है, जिनके मकानों, गांवों और कृषि योग्य भूमि का गंगा नदी द्वारा कटाव किया गया है और जिनको इसके परिणामस्वरूप आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पशु पालन योजनाओं और अन्य लघु उद्योगों के लिये इन ग्रामीण लोगों को ऋण देने के लिये बैंकों को अनुदेश जारी किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश जारी किये हैं कि वे पश्चिम बंगाल में बाढ़ से पीड़ित लोगों को ऋण सहायता प्रदान करें। ऐसे ऋण बिना जमानत के या तीसरी पार्टी की गारंटी के बगैर भी दिये जा सकते हैं। नये फसल ऋणों की आवश्यकता पर भी प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है और इसमें किसानों की उपभोक्ता आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जायेगा। छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में, उन ऋण-संस्थाओं को जिन्होंने कि छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए बनायी गई ऋण गारंटी योजना में भाग लिया है, यह निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वे उद्योगों को हुए नुकसान का शीघ्र मूल्यांकन करें तथा उचित रोगण कार्यक्रम तैयार करके, अधिकारी एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

Applications for Financial Assistance to Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta

865. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how many applications were received by the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta (a) during the year 1977, (b) during 1978 upto 30th September, 1978 for providing financial assistance and the reconstructing help;

(b) how many from the above were actually given help and to what extent;

(c) what do Government propose to do about the pending proposals which are held up for want of funds; and

(d) whether Government propose to review the norms and conditions to relax their policy to cover more sick units?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). Industrial Reconstruction Corporation of India had received 79 proposals for financial assistance during 1977 and 35 proposals during 1978 upto 30th September, 1978, aggregating 114 proposals in all. Of these, 90 were in the nature of preliminary enquiries and were dealt with appropriately. Of the remaining 24 proposals, in 6 cases, it was found that they were either not viable or their financial needs could